ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट संख्या–1, नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर–201308, उ.प्र.
वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.in, ई–मेल : authority@gnida.in

पत्रांक : ग्रे0नौ0 / नियो0 / विविध / 2024 / 239 दिनांक 24.07.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण बोर्ड की 135वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–135 / 06, दिनांक 15.06.2024 में ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली–2010 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन का विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वैबसाइट **https://www.greaternoidaauthority.in** व प्राधिकरण कार्यालय के आगन्तुक कक्ष (CR Cell) पर उपलब्ध रहेगा।

उपरोक्त संशोधनों पर यदि कोई आपत्ति / सुझाव हों तो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से सॉयकाल 6.00 बजे तक प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल पर महाप्रबन्धक (नियोजन), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को सम्बोधित करते हुए लिखित एवं आधिकारिक आईडी– **gmplanning@gnida.in** के माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं। आपत्ति / सुझाव देने वाले व्यक्ति / संस्था को अपना नाम, पता व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

महाप्रबन्धक नियोजन / वास्तुकला

Follow Us On / OfficialGNIDA

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–1, नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर–201308, उ.प्र.
वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.in, ई–मेल : authority@gnida.in

पत्रांक : ग्रे0नौ0 / नियो0 / विविध / 2024 / 239 दिनांक 24.07.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण बोर्ड की 135वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–135 / 06, दिनांक 15.06.2024 में ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली–2010 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन का विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वैबसाइट **https://www.greaternoidaauthority.in** व प्राधिकरण कार्यालय के आगन्तुक कक्ष (CR Cell) पर उपलब्ध रहेगा।

उपरोक्त संशोधनों पर यदि कोई आपत्ति / सुझाव हों तो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से सॉयकाल 6.00 बजे तक प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल पर महाप्रबन्धक (नियोजन), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को सम्बोधित करते हुए लिखित एवं आधिकारिक आईडी– **gmplanning@gnida.in** के माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं। आपत्ति / सुझाव देने वाले व्यक्ति / संस्था को अपना नाम, पता व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

महाप्रबन्धक नियोजन / वास्तुकला

Follow Us On / OfficialGNIDA

<u>प्राधिकरण वैबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सूचना</u>

ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली–2010(यथा संशोधित) में मै0 कडाई द्वारा दिये गयें सुझावों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 135वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–135/06 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर संचालक मण्डल द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है:–

- **प्रस्तर संख्या *24.2.1 (1) (v), 24.3.1 (1) (v) , 24.4.1 (1) (v), 24.5.1 (1) (v)* में** चौकीदार आश्रय स्तर की अधिकतम ऊँचाई 4.0 मीटर और निगरानी टॉवर की ऊँचाई 15 मीटर होगी। ऐसे स्थल यथा गार्ड रुम के समीप 1.0मी0 x 1.2 मी0 का छोटा शौचालय का प्राविधान किया जाना अनुमन्य होगा।
- **24.4 (वाणिज्यक भवन) में नया प्राविधान तालिका के नीचे टिप्पणी के रुप में अंकित किया जाना है।** प्राधिकरण 2.0 हे0 या इससे अधिक आकार के वाणिज्यक भूखण्डों में सर्विस अपार्टमेन्ट को सम्मिलित करते हुए फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के अधिकतम 40 प्रतिशत को आवासीय कियाकलापों के लिए अनुमति दे सकता है, किन्तु फर्शी क्षेत्रफल अनुपात, पूर्ण भूखण्ड पर वाणिज्य भूमि की दर लागू होगी, जिन व्यवसायिक भूखण्डों में ग्रुप हाउसिंग (सर्विस अपार्टमेन्ट) की अनुमति प्रदान की जायेगी, उसका न्यूनतम क्षेत्रफल 20000 वर्गमीटर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 40000 वर्गमीटर हो, इस प्रकार के भूखण्डों में सब डिवीजन किये जाने की अनुमति नही होगी। जनसंख्या में प्रस्तावित वृद्वि के सापेक्ष मानकों के अनुसार आवश्यक भौतिक अवस्थापना एवं सामाजिक सुविधाओं का आंकलन करते इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त तदानुसार इन्फ्रास्ट्रैक्चर का प्राविधान सुनिश्चित किया जाये।

- **24.8 में नया बिन्दु 17 जोड़ा जाना–** वहुमंजिले भवनों में बालकनी तथा सीढ़ियों की रेलिंग की ऊँचाई 1.35 मीटर $\pm$ 0.05 मीटर अनुमन्य की जायेगी।
- **29.5 में तालिका के नीचे नया बिन्दु 29.5(1) जोड़ा जाना** है जो निम्नवत् है:–

क.स.	भू–उपयोग	अतिरिक्त कय योग्य एफएआर
1	आवासीय ग्रुप हाउसिंग	0.5
2	वाणिज्यक	0.2
3	संस्थागत	0.2–0.5
4	मनोरंजन हरित	0.2
5	आई.टी./आईटीईएस	0.5

- ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रस्तावित नोएडा से ग्रेटर नोएडा मैट्रो कॉरीडोर में सैक्टर नॉलेजपार्क–5 तक के सैक्टरों में दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सभी श्रेणी के भूखण्डों में (एकल आवासीय विकसित भूखण्डों को छोड़कर) में उपरोक्त तालिका अनुसार अतिरिक्त एफएआर अनुमन्य किया जायेगा। कॉरीडोर की वाहय सीमा पर स्थित किसी भूखण्ड में औसत गहराई का यदि न्यूनतम तीन मीटर भाग कॉरीडोर के अन्तर्गत आ रहा है तो ऐसे सम्पूर्ण भूखण्डों को कॉरीडोर के अन्तर्गत माना जायेगा।